संख्या-320जेएल/22-3-2025-ई-1951158

प्रेषक,

अनीस अख्तर अंसारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
गाजीपुर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 24.07.2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामअवतार पुत्र श्री राममुर्ती सिंह यादव, जनपद-गाजीपुर को अपनी पत्नी के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-484-85/जि0प्रो0का0/पैरोल/2025-26, दिनांक 20-06-2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 (नं0 46 ऑफ 2023) की धारा-473० के अन्तर्गत श्री राज्यपाल केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रामअवतार पुत्र श्री राममुर्ती सिंह यादव (बंदी संख्या-104/2025), निवासी-ग्राम विशुनपुर कला, थाना-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर को अपनी पत्नी के उपचार हेतु 15 दिन के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर कारागार से छोड़े जाने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ देते है कि बन्दी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में शान्ति बनाये रखने तथा अच्छे चाल-चलन रखने और पैरोल की अवधि समाप्त होने पर जेल में वापस जाने के लिए आप की संतुष्टि के अनुसार दो जमानतों सहित एक निजी मुचलका दाखिल करे तथा बन्दी के विरूद्ध अन्य कोई वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो इसे सुनिश्चित कर लिया जायें तथा बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक हो। पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि को बन्दी द्वारा काटी गयी सजा में नही जोड़ा जायेगा।

2- यदि बन्दी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) समाप्त होने पर नियत तिथि को जेल में हाजिर न हो तो बन्दी तथा उसके जमानतदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये। बन्दी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में अपने निवास स्थान के थाने में अपनी उपस्थिति की सूचना देता रहेगा।

3- बन्दी को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि यदि वह स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि समाप्त होने पर निर्धारित दिनांक को वापस नहीं आता है तो उसके विरूद्ध किये जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह भविष्य में एक निश्चित अवधि अथवा सदा के लिए परिहार तथा पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पाने का अधिकारी न होगा।

4- यह आदेश जारी होने की दिनांक से 06 माह तक मान्य होंगे।

5- कृपया इस आदेश की प्राप्ति की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बन्दी को पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर रिहा किये जाने तथा बन्दी के जेल में हाजिर होने की तिथि, शासन तथा महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश को रेडियोग्राम द्वारा उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिन अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।